

## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)


-: संशोधित आदेश :-

क्र.- ७/एक-11-1/97/(S.W.) जबलपुर दिनांक- ०३ फरवरी 2023

श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव, अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठखण्ड, जबलपुर के मातृत्व अवकाश पर होने के फलस्वरूप, सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक, जो दिनांक 03 जनवरी 2023 को जारी किया गया है उसमें आंशिक संशोधन किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशील होगा।

01. सरल क्र. 39 में दर्शित न्यायालय अष्टम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठखण्ड) जबलपुर के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-02 विलोपित किया जाता है।
- 02 सरल क्र. 42 में दर्शित न्यायालय चौदहवां व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) जबलपुर के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-01 के पश्चात निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है -  
02. 50,00,001 से 1,00,00,000 रुपये तक मूल्यांकन के "ए" तथा "बी" श्रेणी के साम्पत्तिक वाद जो नगर निगम से उद्भूत हुए हों।


माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात।

 वास्ते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जबलपुर

पृष्ठा. क्र. ७/एक-11-1/97/(S.W.)

जबलपुर दिनांक- ०३ फरवरी 2023

- 01- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
- 02- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर,
- 03- .....जबलपुर
- 04- फाईलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय, जबलपुर
- 05- सचिव, जिला अधिवक्ता एवं ~~सहायक~~ अधिवक्ता संघ, जबलपुर,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

 वास्ते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जबलपुर